राजस्थान सरकार

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला–बाड़मेर

	विप्रार्थीगण
1. झमकू पुत्री हरदान पत्नी पेमाराम जाति विश्नोई, निवासी सियागपुरा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।	1. गवरी पत्नी हरदान 2. रामरख पुत्र चौथा 3. सोना पुत्र चौथा 4. पोकर पुत्र चौथा 5. आसुराम पुत्र सुरता 6. चुनाराम पुत्र सुरता 7. पुनमाराम पुत्र सुरता 8. पांचाराम पुत्र सुरता 9. भाकचन्दराम पुत्र सुरता 10. गंगाराम पुत्र जोधा 11. गुमाना पुत्र विरधा 12. जयकिशन पुत्र वरीगा 13. तुलछाराम पुत्र वरीगा 14. भाखराराम पुत्र वरीगा 15. मांगीलाल पुत्र माधा 16. पुनमी पत्नी माधा जाति विश्नोई, निवासी सियागपुरा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर 17. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा गुड़ामालानी 18. शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई शाखा बुरहान का तला 19. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न. 326 /2025

24/01/25 **प्रार्थीनी** झमकू पुत्री हरदान पत्नी पेमाराम **जाति** विश्नोई, **निवासी** सियागपुरा **तहसील** सेड़वा **जिला** बाड़मेर की ओर से अधिवक्ता **श्री** श्रीराम विश्नोई वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ **तहसील सेड़वा के मौजा सियागपुरा पटवार क्षेत्र शोभाला दर्शान भू.अ.नि. सोनड़ी के खाता संख्या नया 51 खसरा संख्या 1157/227 रकबा 8.9274 हैक्टेयर, किस्म बा.अव्वल, खाता संख्या 50 के खसरा संख्या 304 रकबा 22.1929 हैक्टेयर, किस्म बा.दो., खसरा संख्या 305 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, किस्म गै.मू.ढाणी, खसरा संख्या 306 रकबा 0.0890 हैक्टेयर किस्म गै.मू.बाड़ा, खसरा संख्या 815/227 रकबा 2.1044 हैक्टैयर, किस्म बा.अव्वल कुल रकबा 33.3704 हैक्टेयर भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है।** अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीनी की एक पक्षीय बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीनी द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणिय क्षति प्रार्थीनी के पक्ष में प्रतीत होते है। **अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तहसील सेड़वा के मौजा सियागपुरा पटवार क्षेत्र शोभाला दर्शान भू.अ.नि. सोनड़ी के खाता संख्या नया 51 खसरा संख्या 1157/227 रकबा 8.9274 हैक्टेयर, किस्म बा.अव्वल, खाता संख्या 50 के खसरा संख्या 304 रकबा 22.1929 हैक्टेयर, किस्म बा.दो., खसरा संख्या 305 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, किस्म गै.मू.ढाणी, खसरा संख्या 306 रकबा 0.0890 हैक्टेयर किस्म गै.मू.बाड़ा, खसरा संख्या 815/227 रकबा 2.1044 हैक्टैयर, किस्म बा.अव्वल कुल रकबा 33.3704 हैक्टेयर भूमि के राजस्व अभिलेखों में किसी प्रकार का परिर्वतन नहीं करें, प्रार्थीनी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी पैदा न करे तथा वादग्रस्त आराजी का बैचान रहन, तर्क, दान, वसीयत आदि नहीं करें। मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।**

इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्रार्थीनी इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस में रजि.एड़ी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थीनी वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करे। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जबाव आगामी पेशी तारीख 24/12/2025 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.01.27 12:30:11 IST
Reason: SelfAttested

01/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी स्वयं उप.। चूंकि मूलवाद के जरिये राजीनामा डिक्री कर दिया गया है इसलिये इस आवेदन को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है इस आवेदन की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। मूलवाद के संलग्न हो।

(प्रार्थिनी)

(वकील)

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.01.27 12:30:11 IST
Reason: SelfAttested